**राजस्थान सरकार**

**निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर**

कमांक :अराज/सामान्य/परिपत्र/2010/120 दिनांक : 5/2/10

# परिपत्र

निदेशालय के विभिन्न पत्र/परिपत्र/आदेशों के माध्यम से समय–समय पर आपके अधीन नर्सिंग एवं पैरा मेडीकल के कर्मचारी जिन्हे पदविरूद्ध लगा रखा हैं, उन्हे उनके मूल पद पर लगाने एवं जिन्हे प्रतिनियुक्ति/कार्य सम्पादन हेतु लगा रखा हैं, उन्हे उनके मूल पदस्थापन स्थान जहां से उनका वेतन आहरित किया जा रहा हैं, के लिये कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा हैं। किन्तु उक्त निर्देशों की पालना अभी तक नही की जा रही हैं। जिसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लेते हुये यथासम्भव पदविरूद्ध नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि नर्सिंग एवं पैरामेडीकल संवर्ग को यथासंभव पदविरूद्ध/प्रतिनियुक्ति/कार्य सम्पादन पर अन्य पद पर नही लगाया जावें।

05/02/2010

**अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं**
**राजस्थान जयपुर**

कमांक :अराज/सामान्य/परिपत्र/2010/120 दिनांक : 5/2/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, ईएसआई/भ्रमणशील चिकित्सा ईकाई/पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. प्रधानाचार्य, आरएफपीटीसी, जयपुर/अजमेर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।

05/2/2010

**अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं**
**राजस्थान जयपुर**